23 अप्रैल, 2018 को 'विश्वविद्यालय प्रबंधन: राजभवन द्वारा अध्ययन' विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता

1. राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर

2. आमंत्रित कुलपतिगण

3. पत्रकार मित्र,

सबसे पहले मैं आप सभी का राजभवन में स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

राज्यपाल के साथ ही प्रदेश के 28 राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते उच्च शिक्षा में सुधार लाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक रहा है और इसके निमित्त प्रारम्भ से ही मैंने समय-समय पर कई कदम उठाये, जिनका ब्यौरा बीच-बीच में विभिन्न मंचों एवं प्रेस वार्ताओं के माध्यम से सभी के संज्ञान में लाता रहा हूँ। मेरे द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों में से मुख्य मुद्दों को मैं पुनः आपके माध्यम से जनमानस के संज्ञान में लाना चाहूँगा:-

1. शैक्षिक सत्रों का नियमितीकरण।

2. दीक्षान्त समारोह में अंग्रेजों के काल से चली आ रही परम्परागत वेश-भूषा (हेट एण्ड गाउन) को बदलकर भारतीय वेश-भूषा में उपाधियां प्रदान किया जाना।

3. दीक्षान्त समारोहों का नियमित आयोजन किया जाना।

4. विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु आॅनलाइन प्रक्रिया का अधिकाधिक अनुपालन।

5. ई विश्वविद्यालय (आॅनलाईन विश्वविद्यालय) की परिकल्पना हेतु समिति का गठन कर प्रथम चरण में सम्बद्धता, प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए आॅनलाइन एकीकृत साफ्टवेयर विकसित किया जाना।

6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन की कार्यवाही। मेरे अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा मेरे विधिक परामर्शदाता श्री एस0एस0 उपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा अपनी 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की गयी हैं। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 28 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत की है। समिति की संस्तुतियाँ को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन हैं।

7. परीक्षाओं की प्रक्रिया एवं पद्धति के बारे में मूल्यांकन हेतु 5 जनवरी, 2015 को प्रो0 मुज्जम्मिल कुलपति डा॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन कुलपति छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की एक समिति का गठन किया गया था जिसने 31 अगस्त, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैंने रिपोर्ट को 9 दिसम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री के विचारार्थ प्रेषित किया है।

8. समय-समय पर कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिए गए। इन सम्मेलनों का आयोजन राजभवन लखनऊ के अतिरिक्त जौनपुर, झाँसी तथा कानपुर विश्वविद्यालयों में भी किया गया।

राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के साथ मैं अपीलीय अधिकारी भी हूँ और अपीलीय अधिकारी होने के नाते विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के सापेक्ष विश्वविद्यालय अधिकारियों के आदेशों से व्यथित व्यक्ति उचित न्याय प्राप्त करने के लिए मुझे प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं।

विगत लगभग साढ़े तीन वर्षों से मेरा अनुभव यह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-68 तथा अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अधीन प्रस्तुत की गई अपीलों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है, तो यह सोचा गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया जाये। इन अपीलों का स्वरूप क्या होता है ? इनके निस्तारण में होने वाले विलम्ब का क्या कारण है ? इतनी अधिक मात्रा में अपील क्यों प्राप्त हो रही हैं ? इससे विश्वविद्यालयों की कार्य-प्रणाली के बारे में क्या जानकारी मिलती है इत्यादि ? यह भी विचार मन में आया कि क्या अन्य राज्यों के राज्य विश्वविद्यालयों में अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश जैसी ही हैं ? क्या अन्य राज्य

में कोई ऐसी विशेषतायंे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में भी सार्थक रूप से लागू किया जा सके ? इस परिप्रेक्ष्य में मेरी प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर के नेतृत्व में विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) श्री राजवीर सिंह राठौड़ एवं विशेष कार्याधिकारी (आई0टी0) श्री सुदीप बनर्जी का एक तीन सदस्यीय अध्ययन दल गठित किया गया, जो 4 राज्यों के विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रमण पर गया। ऐसे राज्य जहाँ देश के 3 सबसे पुराने विश्वविद्यालय स्थित हैं, अर्थात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु तथा एक ऐसा राज्य जिसमें एक विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित माना जाता है जैसे कि महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, वड़ोदरा, गुजरात। वहां के माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव से अध्ययन दल ने विचार-विमर्श किया और प्राप्त अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजभवन के इतिहास में इस प्रकार का यह पहला अध्ययन है।

रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर है:-

1. विश्वविद्यालय संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु स्थापित अपीलीय प्रक्रिया
2. कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया, कुलपति की सेवा शर्तें
3. विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान
4. रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया
5. कुलाधिपति कार्यालय-शासन-विश्वविद्यालयों के मध्य परस्पर सामंजस्य का स्तर
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित विनियमों का अंगीकरण
7. परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली
8. ई प्रक्रिया का अंगीकरण

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की प्रबंध प्रणाली को सुधारने के निमित्त कुछ सुझाव एवं संस्तुतियाँ दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ सुझावों का कार्यान्वयन अधिनियम में संशोधन

के उपरान्त ही हो सकेगा। परन्तु कुछ संस्तुतियाँ प्रशासनिक स्वरूप की हैं जिनको अमल में लाने के लिए मात्र शासनादेश की ही आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पूर्व कुलपति प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन जो 20 नवम्बर, 2014 से 19 फरवरी, 2018 तक इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, का विस्तृत साक्षात्कार है जिसमें उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परिस्थिति दर्शायी गई है और सुझाव भी दिये गये हैं। कुलाधिपति के रूप में मैनें भी अपने विचार संक्षेप में रखे हैं। विषय विशिष्ट विश्वविद्यालय यथा संगीत सम-विश्वविद्यालय की अलग आवश्यकताओं का भी उल्लेख करते हुए सुझाव रखे गए हैं।

रिपोर्ट में दिये गये मुख्य सुझाव एवं संस्तुतियां निम्नवत् हैंः-

1. विश्वविद्यालय के विवादों के निस्तारण हेतु न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए अथवा कुलाधिपति कार्यालय को अधिक सशक्त बनाया जाए।

2. कुलपति पद की शैक्षिक अर्हताओं, शोध, शैक्षिक एवं प्रशासनिक अनुभव का प्रावधान अधिनियम में किया जाए।

3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलपति की खोज हेतु गठित की जाने वाली खोज समिति के सदस्यों की अर्हताओं का उल्लेख हो तथा यथासम्भव शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने वाला प्रख्यात शिक्षाविद हो, ताकि सुयोग्य महानुभाव का कुलपति पद के लिए चयन किया जाना सम्भव हो सके।

4. पारदर्शिता के उद्देश्य से खोज समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा इसकी समय सीमा का प्रावधान संबंधित अधिनियम में किया जाए।

5. कुलपति पद की सेवा शर्तें यथा अवकाश, भ्रमण तथा उनके विरूद्ध की जानी वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए।

6. कुलपति द्वारा सम्पादित कार्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया स्थापित की जाए।

7. विश्वविद्यालय अधिकारियों यथा-कुलसचिव, वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार प्रक्रिया का अनुपालन करते

हुए कुलपति को दिया जाए अथवा नियत समय के लिए कुलपति की सहमति से शासन द्वारा नियुक्ति की जाए।

8. विश्वविद्यालयीन प्रशासनिक मुद्दों में यथासम्भव शासन का हस्तक्षेप सीमित हो एवं सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका में रहे ताकि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

9. स्ववित्तपोषित कार्यक्रमों के तहत नियुक्त शैक्षिक एवं गैरशैक्षिक कर्मियों की सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों का अंग बनाया जाए।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित विनियमों का अंगीकरण प्राथमिकता पर किया जाए, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी विवादों को नियंत्रित किया जा सके।

11. पारदर्शी कार्यप्रणाली बनाने के लिए प्रवेश से लेकर उपाधि प्रदान करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को आॅनलाइन किया जाए।

12. नैक मूल्यांकन को आवश्यक किया जाए तथा शासन से वित्तीय सहायता की निरन्तरता के लिए इसे अनिवार्य किया जाए।

13. कार्य परिषद् एवं विश्वविद्यालय सभा में नामित किए जाने वाले जनप्रतिनिधि शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखने वाले हों।

14. कार्य परिषद्/प्रबंध मण्डल एवं विश्वविद्यालय सभा की बैठकों में नामित प्रतिनिधि स्वयं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि इन बैठकों के निर्णयों की सार्थकता रहे और प्रकरणों का निस्तारण यथाशीघ्र हो सके।

15. शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शोध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुबन्ध स्थापित किए जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कतिपय धाराओं में एकरूपता न होने के कारण वर्तमान स्थिति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन हेतु विधिक सलाहकार श्री राज्यपाल श्री एस0एस0 उपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का

गठन किया गया, जिसे यह संस्तुतियाँ समाहित करने हेतु प्रेषित भी की गई हंै कि शासन समयबद्ध तरीकों से निर्णय करें। किन्तु अधिनियम संशोधन में समय लगने के दृष्टिगत एवं सुझावों की महत्ता को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न प्रकरणों के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

मुझे विश्वास हंै कि विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए रिपोर्ट में दिये गये मुख्य सुझाव विचारणीय हैं और इनके अंगीकरण से प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता हैं। इस रिपोर्ट को लेकर शिक्षा क्षेत्र में परिचर्चा, संवाद भी किया जाए।

मैंने सदैव यह माना है कि हमेशा अपने कार्य में निरन्तर अभ्यास करते हुए अधिक उत्तम बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी कार्य को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, इस सिद्वान्त पर आधारित यह अध्ययन एवं दिग्दर्शन का प्रयास किया गया है। अध्ययन दल का मैं अभिनन्दन करता हूँ और विशेष अभिनन्दन इसलिए है कि यह कदम उन्होंने स्वयं प्ररेणा से उठाए हैं।

धन्यवाद।

<u>नोट :</u> रिपोर्ट की प्रति http://upgovernor.gov.in/Downloads.html पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।

'उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय प्रबन्धन'
राजभवन द्वारा अध्ययन
पत्रकार वार्ता
श्री राम नाईक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश